न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 539/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सुखदीप सिंह पुत्र स्व. श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद विरकखेड़ा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब(पंजाब) — वादी

बनाम्

1. रूप सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद विरकखेड़ा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब(पंजाब)
2. गुरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद विरकखेड़ा तहसील मलोट ज़िला श्रीमुक्तसर साहिब(पंजाब)
3. गुरविन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री लखवीर सिंह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह जाति जटसिख नि. लीलांवाली हाल आबाद विरकखेड़ा तह.मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
5. तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बेरड — वकील वादी
श्री कुलदीप मूण्ड़ — वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :— 27.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी सं. 3 वादी की माता है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी सं. 3 वादी की माता है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 34/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1143/13715 हिस्सा अर्थात् 1.1448 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 28/30 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 356/3795 हिस्सा अर्थात् 0.356 है. कृषि भूमि तथा इसके अलावा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 84/75 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 548/1771 हिस्सा अर्थात् 1.644 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं कि वादी सुखदीप सिंह पुत्र स्व. श्री हरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली हाल आबाद विरकखेड़ा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 34/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1143/13715 हिस्सा अर्थात् 1.1448 है. कृषि भूमि व तहसील संगरिया के चक 5 एम एम.के. के खाता सं. 28/30 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 356/3795 हिस्सा अर्थात् 0.356 है. कृषि भूमि एवं तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 84/75 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 548/1771 हिस्सा अर्थात् 1.644 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता कीं संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननींय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 34/29 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 1143/13715 हिस्सा अर्थात् 1.1448 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 28/30 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 356/3795 हिस्सा अर्थात् 0.356 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 84/75 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 548/1771 हिस्सा

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अर्थात् 1.644 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काष्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सुखदीप सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 डीएलपी खाता संख्या 34/29 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 5 एमएमके खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 2 के.के. डब्ल्यु. खाता संख्या 84/75 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति तथा चक 5 एमएमके खाता संख्या 25/22 जमाबन्दी सम्वत 2062–2065, चक 2 के.के.डब्ल्यु. नामान्तरण संख्या 298 की फोटोप्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 डीएलपी खाता संख्या 34/29 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 5 एमएमके खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 2 के.के.डब्ल्यु. खाता संख्या 84/75 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में प्रतिवादी संख्या 1 रूपसिह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिह के नाम दर्ज है जों हमारी जद्दी जायदांद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 5 एमएमके खाता संख्या 25/22 जमाबन्दी सम्वत 2062–2065, चक 2 के.के.डब्ल्यु. नामान्तरण संख्या 298 की फोटोप्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रूपसिह के नाम चक 4 डीएलपी खाता संख्या 34/29 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 5 एमएमके खाता संख्या 28/30 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवं चक 2 के.के.डब्ल्यु. खाता संख्या 84/75 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 डी.एल.पी. के खाता सं. 34/29 जमाबंन्दी सम्वत् 2073–76 में 1143/13715 हिस्सा अर्थात् 1.1448 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने व इसी प्रकार वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एम.एम.के. के खाता सं. 28/30 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 356/3795 हिस्सा अर्थात् 0.356 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार वादी के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 2 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 84/75 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 548/1771 हिस्सा अर्थात् 1.644 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया